प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 234/2022 दिनांक 14/6/2022

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 256 ..... समय ..... 11:30 A.M.
(ख) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक :– 13.06.2022 समय ....03.25 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– चूरू।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर दिशा में करीब 90 किलोमीटर
(ब) पता :– पटवार मंडल नया बास के सामने श्री राजकुमार प्रजापत का मकान चूरू
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री किशनलाल
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री हनुमानाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी गांव बुटिया पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू.....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री मुकेश स्वामी पुत्र श्री गोमददास, जाति स्वामी, उम्र–36 वर्ष, निवासी गांव लादडिया पुलिस थाना दुधवा खारा जिला चूरू हाल पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 14,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 10.06.2022 को परिवादी किशनलाल ने अपने मोबाईल नम्बर 9929624999 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर को कॉल कर पटवार हल्का बूटिया तहसील व जिला चूरू के पटवारी श्री मुकेश द्वारा उसके नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत की मांग करने तथा पटवारी को रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुनिस द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को मामलें में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी के चाहेनुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.06.2022 को परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लाने की मुनासिब हिदायत देकर समय 7.30 एएम पर बुटिया रवाना किया गया।

कार्यवाही पुलिस

11.06.2022

7.30 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी श्री किशनलाल का लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "निवेदन है कि गांव बूटिया की रोहि में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 255, 695/44, 696/47, 699/186 है। उक्त कृषि भूमि मेरे पिताजी श्री मोटाराम के नाम है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 05.05.2021 को हो गया था, जिसका नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये मैं हल्टा पटवारी बुटिया श्री मुकेश से मिला तो उन्होने मेरे पिताजी के नाम कृषि भूमि के विरासत का नामान्तरण दर्ज करने के लिये मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। मै श्री हनुमानाराम पुत्र श्री नूनाराम निवासी बूटिया के गोद गया हुआ हूँ, जिसका गोदनामा रजिस्ट्रड नहीं किया हुआ है। मै पटवारी को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ, उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ, कानूनी कार्यवाही करें एसडी–किशनलाल दिनांक 11.06.2022 श्री मूलचन्द कानि. ने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि" सीकर से रवाना होकर मैने चूरू में परिवादी से सम्पर्क कर हम दोनों श्री मुकेश पटवारी के गांव लादडिया पहूँच, जहॉ मैने परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप वार्ता को सुना गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय टेप रिकार्डर सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 13.06.2022 को परिवादी के चाहेनुसार गांव बुटिया पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाकर कार्यालय सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. सीएसडी–तृतीय सीकर से श्री रघुवीर सिंह तकनीकी सहायक–प्रथम एवं श्री जयप्रकाश तकनीकी सहायक–द्वितीय को तलब कर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया गया। फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड हमरा लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्रीमती श्रवणी महिला कानि. नं. 141 पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर से हमरा लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों से सीकर से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क करते हुये गांव फदनपुरा बस स्टेण्ड पर पहूँचा जहॉ परिवादी किशनलाल उपस्थित मिला। परिवादी ने गांव फदनुपरा में अपने परिचित श्री हरदेवसिंह पुत्र श्री मुन्नाराम के मकान पर पहॅच अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गांव फदनपुरा में श्री हरदेवसिंह के मकान पर पहूँचा, जहॉ मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने श्री मूलचन्द कानि. को पेश किये गये प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षिरित होना बताते हुये श्री मुकेश पटवारी से कोई पूर्व को उधार लेनदेन एवं कोई रंजीश होने से इन्कार किया। परिवादी किशनलाल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। परिवादी ने बताया कि श्री मुकेश पटवारी नगरपरिषद चूरू के पास किराये के मकान में पटवार घर बना रखा है, वह उसी पटवार घर में रिश्वती राशि लेगा।

तत्पश्चात परिवादी श्री किशनलाल ने हिदायत देने पर आरोपी श्री मुकेश पटवारी पटवार हल्का बूटिया तहसील व जिला चूरू को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपयों के 07 नोट कुल 14,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9LP 172438
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7HR 162523
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6KH 174478
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2DD 788476
5–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5CF 575752

6–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2MN 870769
7–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2CA 965824

फिनोफ्थलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री जयप्रकाश से परिवादी श्री किशनलाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 14,000 रूपयों के नोट श्री दलीप कुमार कानि. से परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री दलीप कुमार कानि. से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री दलीप कुमार कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी किशनलाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री दलीप कुमार कानि. को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी किशनलाल को साथ लेकर मय हमराहीयान पार्टी के गांव फदनपुरा से रवाना होकर नगरपरिषद चूरू के पास पहूँच वाहनों को साईड में रूकवाकर आरोपी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी पटवारी के मोबाईल फोन पर व्हाट्अस कॉल लगाकर बात करवाई गई तो आरोपी पटवारी ने अपना मिटिंग में जाना तथा करीब 3.00 पीएम तक पटवार घर में आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के नगरपरिषद चूरू के आस–पास वाहनों में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 3.10 पीएम पर परिवादी को पटवार घर की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के नगरपरिषद के पास मुख्य सड़क पर परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 3.22 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय मौतविरान गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ वाहनों से चलकर समय 3.25 पीएम पर चूरू पटवार मंडल नया बास के सामने श्री राजकुमार प्रजापत के मकान के सामने पहूँचा जहॉ मुख्य रास्ते में खुलते हुये एक कमरे के आगे परिवादी किशनलाल खड़ा मिला जिसने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अपने पास खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि ''यही मुकेश पटवारी है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से चौदह हजार रूपये रिश्वत के लिये है'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम मुकेश स्वामी पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू होना बताते हुये कहा कि'' मैने इससे कोई रूपये नहीं लिये है, फिर कहा कि मैने उधार दिये रूपये लिये है'' उधार दिये गये रूपयों की कोई लिखा पढी होने बाबत पूछा तो कोई लिखा पढी नहीं होना बताया। मौके पर परिवादी श्री किशनलाल ने आरोपी पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि ''मैने इससे कोई उधार के रूपये नहीं लिये है, दिनांक 11.06.2022 को मैने गांव लादडिया में इनके खेत पर वार्ता की तो इसने मेरे विरासत का नामान्तरण खोलने के लिये मेरे से 20000 रूपये रिश्वत की मांग की, इन्होने रूपये देने की कही तो मैने मेरी जेब में रखे 6,000 रूपये व तहसीलदार के नाम नामान्तरण खोलने संबंधी प्रार्थना पत्र इनको दे दिये तथा शेष 14,000 रूपये इनको आज दिये है, जो इन्होने अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी का बांय हाथ श्री मूलचन्द कानि. एवं दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. के जरिये कलाईयों

के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री जयप्रकाश ने आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से दो–दो हजार रूपयों के नोट निकालकर गिने तो कुल 14000 रूपये पाये गये, इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर कुल 14,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसे पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश की। तत्पश्चात श्री कैलाशचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर जेब का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी की पेन्ट बरंग क्रीम कलर की पीछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में सीलवाकर सील मोहर कर मार्क ''ए'' अंकित कर जप्त किया गया।

तत्पश्चात आरोपी मुकेश स्वामी पटवारी से परिवादी के नामान्तरण संबंधी कार्य के बारे में पूछा तो बताया कि ''अवकाश होने के कारण इनका नामान्तरण नहीं खोल सका'' मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर आरोपी मुकेश पटवारी ने अपनी टेबल की दराज से परिवादी के नामान्तरण संबंधी दस्तावेज निकालकर पेश किये, जिनका अवलोकन करने पर तहसीलदार चूरू के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज करने संबंधी एक प्रार्थना पत्र जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.06.2022 को मार्क ''पटवारी नियमानुसार कार्यवाही करें'' अंकित किया हुआ तथा एक शपथ पत्र, जमाबंदी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पाये गये। तहसीलदार के नाम लिखित प्रार्थना पत्र पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश स्वामी पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री किशनलाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.06.2022 को आरोपी श्री मुकेश पटवारी से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी किशनलाल ने स्वंय की व आरोपी श्री मुकेश पटवारी पटवार हल्का बूटिया तहसील व जिला चूरू की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री किशनलाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी श्री मुकेश पटवारी से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को

कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी किशनलाल ने स्वंय की व आरोपी श्री मुकेश पटवारी पटवार हल्का बूटिया तहसील व जिला चूरू की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी पटवारी तथा जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर चूरू से रवाना होकर सीकर सीकर पहूँच आरोपी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से जमा हवालात करवाया जाकरएसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधित जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मुकेश स्वामी पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री किशनलाल से उसके विरासत का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में दिनांक 11.06.2022 को 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 6,000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में शेष 14,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री मुकेश स्वामी पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री मुकेश स्वामी पटवारी पटवार हल्का बुटिया तहसील व जिला चूरू के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश स्वामी, पटवारी, पटवार हल्का बुटिया, तहसील व जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 234/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2061-65 दिनांक 14.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर चूरू।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

14.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।